

(भारत के राजपत्र के भाग- 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)


सं. 13017/27/2010-अ.भा.से. 1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 08 अगस्त, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक और पंजाब सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री खुशबू गोयल, भा.प्र.से. (कर्नाटक: 08) का कर्नाटक संवर्ग से पंजाब संवर्ग में कार्य भार ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतरसंवर्ग प्रतिनियुक्ति का एतद्वारा अनुमोदन करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा) ।